



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

3 फाल्गुन 1940 (श0)  
(सं0 पटना 251) पटना, शुक्रवार, 22 फरवरी 2019

---

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

18 फरवरी 2019

सं० वि०स०वि०-06/2019/669/वि०स०।—"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2019", जो बिहार विधान सभा में दिनांक 18 फरवरी 2019 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,  
बटेश्वर नाथ पाण्डेय,  
सचिव।

[वि०स०वि० 06/2019]

**बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2019**

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत-गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ**।- (1) यह अधिनियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा-4 की उपधारा (4) का संशोधन**।- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (4) निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

“(4) उप धारा (2) के अधीन रहते हुए, समिति के पदेन सदस्य से भिन्न अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में उनके नामों के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा सरकार द्वारा यथानिर्देशित अगले आदेश तक (जो पहले हो) होगा।”

**बटेश्वर नाथ पाण्डेय,  
सचिव।**

**उद्देश्य एवं हेतु**

चूँकि, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 द्वारा स्थापित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना का उद्देश्य माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संचालित करना एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक विकास करना है, और

चूँकि, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षा तथा परीक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है, और

चूँकि, अपरिहार्य स्थितियों में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के कार्यकाल को निर्धारित करने की शक्ति का उपबंध करना आवश्यक एवं समीचीन है,

इसलिए, अब, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन करना ही इस विधेयक का उद्देश्य तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभिष्ट है।

**(कृष्णानन्दन प्रसाद वर्मा)  
भारसाधक सदस्य।**

पटना,  
दिनांक 18 फरवरी 2019

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,  
बटेश्वर नाथ पाण्डेय,  
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 251-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>